226
11/01/2016

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़े :–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1391, दिनांक–13.02.2014 एवं विभागीय संकल्प संख्या–9779, दिनांक–30.09.2014

श्री रामचन्द्र भगत, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–372/03, गृह जिला– राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम को इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता भगत के शिकायत के आधार पर पत्नी के रहते हुए अन्य महिला के साथ रहकर अपनी पत्नी एवं दो बच्चों को मानसिक यातना देने संबंधी आरोपों हेतु लोहरदगा थाना काण्ड सं0–12/92 जी0आर0 27/92 दर्ज है। प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के द्वारा विषयगत मामले में श्री भगत को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500.00 रूपये आर्थिक दण्ड की सजा दी गयी।

श्री भगत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम), लोहरदगा के आदेश को यथावत् रखते हुए अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री भगत ने माननीय उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0–439/2006 दायर किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–09.11.2012 को पारित आदेश में श्री भगत के द्वारा दायर क्रिमिनल अपील सं0–439/2006 खारिज कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश की अंतिम कंडिका निम्नवत् है–

"In these cicumstances, we dismiss the appeal. The bail bonds shall stand cancelled and the accused-appellant is directed to surrender to undergo the remaining period of sentences with immediate effect."

समीक्षोपरांत, श्री भगत को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्तावित दण्ड हेतु इनसे विभागीय पत्रांक–1391, दिनांक–13.02.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री भगत के पत्र, दिनांक–08.05.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कोई नया तथ्य नहीं पाया गया। अतः श्री भगत को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, जिस पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक–2892, दिनांक–27.08.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अतः असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–49(vii) के अन्तर्गत श्री भगत को विभागीय संकल्प संख्या–9779, दिनांक–30.09.2014 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री भगत के पत्र, दिनांक–29.12.2014 द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं–

लोहरदगा थाना कांड सं0–27/92 में श्रीमती सुनीता कुमारी, पति– श्री बुधनाथ भगत, ग्राम– टेंगरिया, थाना– पालकोट, जिला–गुमला के द्वारा झूठा आरोप लगाकर फंसाया गया। श्रीमती सुनीता कुमारी, पति– श्री बुधनाथ भगत एक शादीशुदा महिला है, उसका पति अभी भी जीवित है। अभी वह सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड, अरगढ़ा कोलियरी, पतरातू में गार्ड के पद पर कार्यरत है। श्रीमती सुनीता कुमारी, लोहरदगा निवासी एक व्यक्ति, जिसका नाम अनंत कुमार दास है, के साथ षडयंत्र रचकर गलत एवं भ्रामक साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आदेश पारित कराने में सफल रहे। श्री विष्णु राम भगत एवं श्रीमती चुनवती देवी, दोनों ग्राम–सिलम, थाना–रायडीह, जिला–गुमला के निवासी हैं। ये दोनों क्रमशः सुनीता कुमारी के सगे भाई एवं बहन हैं। इन दोनों ने सुनीता कुमारी का विवाह बुधनाथ भगत, पिता–हौड़ा भगत, ग्राम–टेंगरिया, थाना– पालकोट, जिला–गुमला से कराया गया था, जिसके प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र दिया गया है। ये आदिवासी उराँव समुदाय के सदस्य हैं। इन्होंने 31 वर्ष तक सरकार की सेवा ईमानदारीपूर्वक किया है। ये अत्यंत ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके परिवार में इनके अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है। परिवार की भरण–पोषण की सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर है।ये कई गंभीर बिमारी से पीड़ित हैं, जिसका इलाज करना आवश्यक है। श्री भगत द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में यह भी कहा गया है कि इनकी दयनीय आर्थिक स्थिति, बिमारी एवं बच्चों के भविष्य के मद्देनजर इनके सेवा बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृति में परिवर्तित किया जाय।

श्री भगत से प्राप्त द्वितीय कारण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जिस तरह के आरोपों के लिए इन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के आर्थिक दण्ड की सजा दी गयी है तथा जिसके विरूद्ध श्री भगत माननीय उच्चतम न्यायालय तक गये एवं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वैसे मामले में पूर्व में दी गयी सजा पर पुनर्विचार कर परिवर्तित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। समीक्षोपरांत इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रामचन्द्र भगत, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5 / आरोप–1–532 / 2014 का०–226 / राँची, दिनांक 11 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।